

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑक्टोबर 20, सूत 6-7, जाबता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अजब अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

देवेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
घाना अन्तर्गत 88, 91, 92ए आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 45/2018
निर्णय दिनांक :- 14.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर ब हाजरी बादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड पेश होने पर आदेश दिया जाता है व
डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र बादी अंतर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,
136-राजस्व व अधिनियम 1956 मर्ती-भाति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 14.03.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की
मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
राजस्थान

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
राजस्थान